भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 354

दिनांक 19.11.2019/28 **कार्तिक**,1941 **(शक) को उत्तर के लिए**

स्वायत राज्य का निर्माण

† 354. **श्री होरेन सिंह बे**:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद, असम के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(क) **के तत्काल कार्यान्वयन की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

(ख) क्या यह सच है कि असम के जनजातीय क्षेत्र और मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के बीच प्रति व्यक्ति सरकारी वित्तपोषण की राशि में भारी असमानता मौजूद है, इसलिए अनुच्छेद 244(क) **के अनुसार स्वायत्त राज्य का निर्माण करने से उस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति सरकारी वित्तपोषण की राशि बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो सरकार के प्रति जनजातीय लोगों का विश्वास बढ़ाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने स्वायत्त राज्य के निर्माण के लिए संविधान के अनुच्छेद 244(क) **के प्रावधान को लागू करने के लिए कोई उपयुक्त कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार के पास स्वायत्त राज्य बनाने की कोई तात्कालिक योजना है क्योंकि यह कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में प्रमुख चुनावी वादा है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (घ): कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (केएएसी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 19.03.2019 को केएएसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(क) में किए गए प्रावधान के अनुसार असम राज्य के अंदर एक 'स्वायत्त राज्य' के सृजन हेतु एक ज्ञापन सौंपा था। संविधान के अनुच्छेद 244 (क) के तहत किसी स्वायत्त राज्य के सृजन का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****